

राज्य

आवश्यक

तार

समस्त

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

निदेशालय द्वारा मजदूरी मद में आवंटित बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.)
अविलम्ब फैक्स द्वारा भेजे। सूचना वित्त विभाग द्वारा चाही गई है।

—
अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

तार देने योग्य नहीं

राजमैडीकल

क्रमांक: मले./बजट/ 2011/ 774

दिनांक 16/09/11

प्रतिलिपि निम्न को डाक द्वारा तार की पुष्टि हेतु :-

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि निदेशालय द्वारा डीडीटी छिड़काव हेतु मजदूरी मद में आवंटित बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) अविलम्ब फैक्स द्वारा भेजें। जिससे द्वितीय चरण हेतु वित्त विभाग से बजट प्राप्त किया जा सके।
3. समरत संयुक्त निदेशक, जोन।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त तार को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
6. नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय को वारते तार।

16/09/11
अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर